



ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहना

मेरे पास स्थायी वीज़ा है

स्थायी निवासी (पीआर) वीज़ा धारक अनिश्चित काल के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रह सकते हैं, परंतु यदि आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर यात्रा करके वापिस ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, तो आपको अपने स्थायी वीज़ा में निहित यात्रा सुविधा की अवधि (सामान्य रूप से पाँच-वर्ष की अवधि) की जाँच करनी चाहिए।

आप:

- वेवो (VEVO) सेवा का उपयोग करके इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं, या
- अपने [ImmiAccount](#) के माध्यम से अपने वीज़ा की शर्तें देखकर इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अपने स्थायी वीज़ा में निहित यात्रा की सुविधा समाप्त हो जाने के बाद अस्थायी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते/करती हैं, तो इससे आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अधिक विवरण के लिए '[निवासी वापसी वीज़ा](#)' ['Resident Return visa'] देखें।

मेरे पास अस्थायी वीज़ा है

मेरे पास आगंतुक [Visitor] वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) [Electronic Travel Authority (ETA)] है

ऑस्ट्रेलियाई प्रवासन कानून के तहत आगंतुक वीज़ा या ईटीए [ETA] की अवधि में विस्तार करना संभव नहीं है। अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

यदि आपके वीज़ा के साथ 'आगे न रहने की शर्त [No further stay condition]' जुड़ी है, तो आपको किसी भी नए वीज़ा का आवेदन करने से पहले इसे रद्द किए जाने के लिए आवेदन करना होगा।

यदि आप अपनी योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने में असमर्थ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में अपनी उपस्थिति की वैधता सुनिश्चित करने के लिए अनुमत निवास अवधि, वीज़ा की समाप्ति तिथि और वीज़ा शर्तों की जाँच करें।

आप वेवो [VEVO], माईवेवो ऐप [myVEVO app], अपने वीज़ा अनुदान पत्र या अपने ImmiAccount के माध्यम से अपने वीज़ा के विवरण देख सकते/सकती हैं। आप हमारी ईटीए की जाँच करें [Check an ETA] सेवा के माध्यम से अपने ईटीए (ETA) की समाप्ति तिथि और शर्तों की जाँच कर सकते/सकती हैं।

जब आप नए वीज़ा के लिए आवेदन जमा करते/करती हैं, तो आपके वीज़ा आवेदन पर निर्णय लिए जाने के समय तक आपको ऑस्ट्रेलिया में वैध बने रहने के लिए एक ब्रिजिंग वीज़ा दिया जा सकता है।

यदि आपका वीज़ा समाप्त हो गया है, तो वेबपेज [मेरा वीज़ा समाप्त हो गया है \[My visa has expired\]](#) देखें।

वीज़ा की शर्तें

कार्य निषेध शर्त

आगंतुक वीज़ा और ईटीए [ETA] धारकों को ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

वीज़ा द्वारा अनुमत निवास की अवधि

वर्तमान वीज़ा द्वारा अनुमत निवास की अवधि को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यदि अपनी अनुमत निवास की अवधि के अंत में भी आप ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहते/रहती हैं, तो आपका वीज़ा समाप्त हो जाएगा। यदि अपने वीज़ा में अनुमत निवास की अवधि के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो इसकी समाप्ति तिथि से पहले आपको दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

यदि आपने राउंड-ट्रिप कूज़ में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान किया और फिर ऑस्ट्रेलिया में पुनः प्रवेश किया है, तो इसे आपकी अनुमत निवास की अवधि के उद्देश्य के लिए ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने के रूप में संभवतः नहीं माना जाएगा। कृपया अपनी कूज़ शिप कंपनी द्वारा आपको प्रदान की गई जानकारी देखें।

आगे न रहने की शर्त [No further stay condition] (जिसमें 8503, 8534 और 8535 शामिल हैं)

यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8503, 8534 या 8535 जुड़ी है और आप योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो इस शर्त को रद्द किए जाने तक आप ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश अन्य वीज़ाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं। यदि आपका वीज़ा चार सप्ताहों से कम समय में समाप्त होने वाला है, आप इस शर्त को रद्द किए जाने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं। यदि आपके निवेदन को स्वीकृति मिल जाती है, तो अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको एक नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

शर्त 8531 (वीज़ा द्वारा अनुमत निवास की अवधि के बाद ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित नहीं रह सकते/सकती हैं)

यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8531 जुड़ी है और आप योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो अपने वीज़ा की समाप्ति तिथि से पहले आपको अगले वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8503 भी जुड़ी है, तो आपको पहले इस शर्त को रद्द किए जाने के लिए निवेदन करना होगा।

हमें इस बात का संज्ञान है कि यात्रा प्रतिबंधों के कारण कुछ लोग योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और हम भविष्य में वीज़ा या प्रायोजन आवेदनों के लिए इसे ध्यान में रखेंगे।

शर्त 8558 (18 महीनों की अवधि में 12 महीनों से अधिक समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित नहीं रह सकते/सकती हैं)

यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8558 जुड़ी है और आप योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो एक बार में लगातार 12 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहने पर आपका वीज़ा समाप्त हो जाएगा।

यदि आप 18 महीनों की अवधि में कुल मिलाकर 12 **संचयी** महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहे/रही हैं, तो वीज़ा की समाप्ति तिथि तक आपका वीज़ा मान्य रहेगा।

यदि ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने से पहले आपका वीज़ा समाप्त हो जाएगा, तो आपको आगे के वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8503 जुड़ी है, तो आपको पहले इस शर्त को रद्द किए जाने के लिए निवेदन करना होगा।

वीज़ा प्रसंस्करण व्यवस्था

यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहने के लिए नए वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, तो आप वीज़ा के लिए अपने विकल्पों की खोज कर सकते/सकती हैं और [ImmiAccount](#) के माध्यम से वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। हम आवेदकों को यथासंभव ऑनलाइन रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इन आवेदनों को शीघ्रतापूर्वक प्रसंस्कृत किया जा सकता है।

COVID-19 के परिणामस्वरूप वीज़ा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं और ऐसी अनेकों सेवाओं की उपलब्धता कम हो रही है, जिनपर हम निर्भर करते हैं (उदाहरण के लिए, चिकित्सीय जाँच और बायोमेट्रिक संग्रह)। जाँचों को पूरा करने और निवेदित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

हम आपके वीज़ा आवेदन पर विचार करते समय इन सेवा व्यवधानों को ध्यान में रखेंगे।

इन जाँचों को पूरा करने हेतु और अधिक समय का निवेदन करने के लिए आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे पास छात्र [Student] वीज़ा है

नवीनतम अपडेट/मीडिया विज्ञप्तियाँ

- [कोरोनावायरस के दौरान स्वास्थ्य और विकलांगता कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी](#)
- [कोरोनावायरस और अस्थायी वीज़ा धारक](#)
- [ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सुपरमार्केट अपनी शेल्फों को सामान से भरा-पूरा रखने में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कर्मियों को काम के लिए अस्थायी रूप से और अधिक घंटे प्रस्तुत कर पाएँगे।](#)
- [अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वृद्ध देखभाल क्षेत्र में कर्मचारियों की गंभीर कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं।](#)

सरकार COVID-19 के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप छात्र [Student] वीज़ा से संबंधित शर्तों को पूरा करने में व्यवधान के प्रति एक अनुकूलनशील दृष्टिकोण अपना रही है, उदाहरण के लिए कक्षाओं में उपस्थिति या ऑनलाइन शिक्षण का प्रयोग।

यदि ऑस्ट्रेलिया में आपका कोर्स समाप्त हो रहा है और आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने में असमर्थ हैं, तो आप आगंतुक [Visitor] वीज़ा (उपवर्ग 600) के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। अपने छात्र [Student] वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको यह करना होगा।

यदि आपका कोर्स 'सत्र में नहीं' ['out of session'] है

यदि आपके कोर्स को 'सत्र में नहीं' माना जाता है, तो आप असीमित घंटों के लिए काम कर सकते/सकती हैं। पूर्वनियोजित अवकाशों की अवधि में या छात्र द्वारा समयानुसार अपना कोर्स पूरा कर लिए जाने पर कोर्स को 'सत्र में नहीं' माना जाता है।

यदि आप अनुसंधान-आधारित मास्टर्स [masters by research] या डॉक्टरेट [doctorate] कोर्स में अध्ययन कर रहे/रही हैं

यदि आपने अनुसंधान-आधारित मास्टर्स [masters by research] या डॉक्टरेट [doctorate] कोर्स का अध्ययन आरंभ कर लिया है, तो आप असीमित घंटों के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

यदि आपका कोर्स स्थगित कर दिया गया है

यदि आपका कोर्स स्थगित कर दिया गया है, तो आप प्रति पखवाड़े 40 घंटों से अधिक समय के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

छात्र [Student] वीजा धारकों के लिए काम के घंटों में अस्थायी ढील

कुछ छात्र [Student] वीजा धारक आस्ट्रेलियावासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में सहायता के लिए प्रति पखवाड़े 40 घंटों से अधिक समय के लिए कार्य कर सकते हैं, यदि वे:

- स्वास्थ्य-क्षेत्र में कार्यरत किए गए हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोर्स (जैसे नर्सिंग या चिकित्सा) में भर्ती हैं और किसी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उन्हें COVID-19 के विरुद्ध प्रयास में सहायता के लिए निर्देशित किया जाता है
- पंजीकृत सुपरमार्केटों में कार्यरत किए गए हैं (सुपरमार्केटों के लिए यह अस्थायी व्यवस्था 1 मई 2020 को समाप्त हो जाएगी)
- किसी अनुमोदित प्रदाता [Approved Provider] या राष्ट्रमंडल द्वारा वित्त-पोषित वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता द्वारा वृद्ध देखभाल क्षेत्र में कार्यरत किए गए हैं
- किसी पंजीकृत राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना [National Disability Insurance Scheme] प्रदाता द्वारा कार्यरत किए गए हैं।

[छात्र \[Student\] वीजा धारकों के लिए काम के घंटों में अस्थायी ढील देखें।](#)

क्या मैं अपने छात्र [Student] वीजा को आगे विस्तारित कर सकता/सकती हूँ?

ऑस्ट्रेलियाई प्रवासन कानून के तहत छात्र [Student] वीजा को आगे विस्तारित करना संभव नहीं है।

आपको नए वीजा के लिए आवेदन करना होगा, यदि:

- आप अपने स्वदेश वापिस नहीं जा सकते/सकती हैं और आपका वीजा समाप्त हो रहा है
- आपको अपना कोर्स पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में और अधिक समय चाहिए।

अपने वर्तमान छात्र [Student] वीज़ा की अवधि समाप्त होने से छह सप्ताह पहले आपको नए छात्र वीज़ा [Student] के लिए आवेदन करना चाहिए। आपको अपने छात्र वीज़ा आवेदन के साथ COVID-19 के प्रभावों का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।

यदि ऑस्ट्रेलिया में आपका अध्ययन समाप्त हो रहा है, तो आप आगंतुक [Visitor] वीज़ा (उपवर्ग 600) के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। अपने छात्र [Student] वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको ऐसा करना होगा।

[आगंतुक \[Visitor\] वीज़ा के बारे में और अधिक जानकारी।](#)

वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं और कई सेवाएँ अनुपलब्ध होती जा रही हैं। इसमें चिकित्सीय जाँच करने वाले पैनल डॉक्टर, अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा सुविधाएँ और बायोमेट्रिक संग्रह शामिल हैं। इन सेवाओं के अनुपलब्ध होने की अवधि में कई आवेदक वीज़ा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। छात्रों को जाँचें पूरी करने और माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले नया आवेदन जमा करने से आपको सभी आवश्यकताएँ पूरी कर पाने की अवधि तक वैध बने रहने के लिए एक ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन की आवश्यकताएँ

घरेलू मामले विभाग [Department of Home Affairs] अध्ययन आवश्यकताओं के तरीके का विनियमन नहीं करता है।

आपको अपने शिक्षा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए।

[कृपया अनुकूलनशील वितरण से संबंधित TEQSA और ASQA का संयुक्त कथन देखें।](#)

यात्रा प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप अपवादों के बारे में जानकारी के लिए [प्रभावित माध्यमिकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय कोड आवश्यकताएँ देखें।](#)

विभाग [Department] को सूचित करना

यदि आप अपने गृह-देश वापिस चले जाते/चली जाती हैं, या आपके अध्ययन की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको विभाग [Department] को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

आपके द्वारा दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन जमा करने या आपके वीज़ा के समाप्त होने तक आपका वीज़ा वैध रहता है। यदि आप अपने गृह-देश वापिस चले जाते/चली जाती हैं या अपने अध्ययन को स्थगित कर देते/देती हैं, तो आपके वीज़ा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करने वाले विद्यार्थी

आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने आर्थिक समर्थन के लिए अपने परिवार से सहायता, यदि उपलब्ध हो तो अंशकालिक कार्य और अपनी खुद की बचत पर निर्भर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि आप स्वयं अपना आर्थिक समर्थन करने में असमर्थ हैं, तो आपको अपने सामान्य निवास के देश वापिस जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सभी छात्र [Student] वीज़ाओं की यह एक शर्त है कि ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास की अवधि के दौरान वीज़ा धारकों के पास अपने आर्थिक समर्थन के लिए धन सुलभ हो।

जो विद्यार्थी 12 महीनों से अधिक समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं और आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, वे अपने ऑस्ट्रेलियाई सुपरएन्युएशन का उपयोग कर पाएंगे।

सरकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र के साथ संलग्नता जारी रखेगी, जो कठिनाई का सामना कर रहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

मेरे पास अस्थायी कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] वीज़ा (उपवर्ग 482) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) [Temporary Work (Skilled)] वीज़ा (उपवर्ग 457) है

स्टुड डाउन [stood down] किए गए परंतु कार्यच्युत नहीं किए गए अस्थायी कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] और उपवर्ग 457 के वीज़ा धारकों का वीज़ा वैध रहेगा और व्यवसायों को सामान्य व्यवस्था के अनुसार आपके वीज़ा को विस्तारित करने का अवसर प्राप्त होगा।

व्यवसाय आपके द्वारा वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन या आपके कार्य-नियोक्ता के दायित्वों में उल्लंघन के बिना आपके कार्य के घंटे कम करने में सक्षम होंगे।

यदि आपको कार्यच्युत कर दिया गया है और आप इस समय बेरोजगार हैं, तो आपको 60 दिनों के अंदर दूसरे कार्य-नियोक्ता की खोज करनी होगी अथवा यदि संभव हो तो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने की व्यवस्था करनी होगी।

यदि आप अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं, तो आपके लिए वैध वीज़ा बनाए रखना और आवश्यकता होने पर ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य सलाह का पालन करना अनिवार्य है।

वर्तमान में स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल या कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत अस्थायी कार्य वीज़ा धारक [COVID-19 महामारी से संबंधित अस्थायी कार्य वीज़ा \(उपवर्ग 408\) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित सहमति \(एजीईई\) धारा वीज़ा \[COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa \(subclass 408\) Australian Government Endorsed Agreement Event \(AGEE\) stream visa\]](#) के लिए भी पात्र हो सकते/सकती हैं।

मेरे पास कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ा है

मैं COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र (कृषि, खाद्य-पदार्थ प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, वृद्ध देखभाल, विकलांगता देखभाल या शिशु देखभाल) में कार्य करता/करती हूँ

कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ाओं की अवधि को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। परंतु यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में तीन या छह महीनों के लिए [विशिष्ट कार्य](#) पूरा कर लिया है, तो आप संभवतः दूसरे या तीसरे कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ा के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने COVID-19 के उत्तर में नए उपाय प्रस्तुत किए हैं। कृषि, स्वास्थ्य, वृद्ध और विकलांगता देखभाल तथा शिशु देखभाल सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत अवकाशकर्ताओं [Working holiday makers] को एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों तक कार्य करने की आवश्यकता में अपवाद प्राप्त होगा।

दूसरी या तीसरी बार कार्यरत अवकाशकर्ता [Working holiday maker] वीजा का आवेदन करने के लिए 3 या 6 महीनों तक कार्य करने की आवश्यकता को पूरा न करने वाले जो अवकाशकर्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करते हैं और स्वदेश वापिस जाने में असमर्थ हैं, वे [COVID-19 महामारी अस्थायी कार्य वीजा \(उपवर्ग 408\) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित आयोजन \(एजीईई\) धारा वीजा \[COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa \(subclass 408\) Australian Government Endorsed Event \(AGEE\) stream visa\]](#) के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें वीजा आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। जब तक आपके लिए अपने गृह-देश वापिस जाना सुरक्षित और व्यावहारिक न हो, तब तक यह वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में वैधतापूर्वक निवास करने और इच्छुक होने पर कार्य करना जारी रखने की अनुमति देगा।

नया वीजा प्रदान किए जाने के लिए आपको उस वीजा की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिनमें आयु सीमा, अंग्रेज़ी भाषा, स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हैं।

वीजा शर्त 8547 — एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों के लिए कार्य करने की सीमा

ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास के दौरान कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Makers] किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, परंतु यह सामान्य रूप से एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों के लिए सीमित होता है, जब तक विभाग [Department] ने एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कार्य करने की अनुमति न दी हो।

स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल या कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत अवकाशकर्ताओं [Working Holiday Makers] को असाधारण, अप्रत्याशित परिस्थितियों के आधार पर विभाग [Department] की ओर से छह महीनों से अधिक समय के लिए एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ काम करने की अनुमति प्राप्त है।

कुछ परिस्थितियों में कार्यरत अवकाशकर्ताओं [Working Holiday Makers] को विभाग [Department] की ओर से छह महीनों से अधिक समय के लिए एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ काम करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वह कार्य:

- अलग-अलग स्थानों पर किया जाता है और एक स्थान पर छह महीनों से अधिक समय के लिए नहीं किया जाता है
- ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्थान पर वनस्पति और पशुओं से संबंधित कृषि के क्षेत्र में है
- उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में केवल कुछ विशेष उद्योगों में है
- बुशफायर रिकवरी प्रयासों में सहायता के संबंध में है।

अन्य सभी परिस्थितियों में आपको 6 महीनों से अधिक समय के लिए एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ काम करने की [अनुमति के लिए निवेदन करना होगा](#)।

मैं COVID-19 के संबंध में महत्वहीन क्षेत्र में कार्य करता/करती हूँ

कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीजाओं की अवधि को आगे विस्तारित नहीं किया जा

सकता है। परंतु यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में तीन या छह महीनों के लिए कार्य कर लिया है, तो आप संभवतः दूसरे या तीसरे कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ा के लिए आवेदन करने में समर्थ हो सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए [विशिष्ट कार्य शर्तें](#) देखें।

यदि आपने दूसरी या तीसरी बार कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ा का आवेदन करने के लिए COVID-19 के कारण 3 या 6 महीनों तक काम करने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है – और आप इसके संबंध में किसी महत्वहीन क्षेत्र में काम करते/करती हैं, तो अपने गृह-देश वापिस जाने में समर्थ होने तक ऑस्ट्रेलिया में वैध बने रहने के लिए आपको किसी अन्य वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

नया वीज़ा प्रदान किए जाने के लिए आपको उस नए वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिनमें आयु सीमाएँ, अंग्रेज़ी भाषा, स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हैं।

वीज़ा शर्त 8547 — एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों के लिए कार्य करने की सीमा

ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास के दौरान कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Makers] किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, परंतु जब तक विभाग [Department] ने एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कार्य करने की अनुमति न दी हो, तब तक यह सामान्य रूप से एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों की अवधि के लिए ही सीमित होता है।

कुछ परिस्थितियों में कार्यरत अवकाशकर्ताओं [Working Holiday Makers] को विभाग [Department] की ओर से छह महीनों से अधिक समय के लिए एक ही कार्य-नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वह कार्य:

- अलग-अलग स्थानों पर किया जाता है और एक स्थान पर छह महीनों से अधिक समय के लिए नहीं किया जाता है
- ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्थान पर वनस्पति और पशुओं से संबंधित कृषि के क्षेत्र में है
- उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में केवल कुछ विशेष उद्योगों में है
- बुशफायर रिकवरी प्रयासों में सहायता के संबंध में है।

किसी भी अन्य परिस्थिति में आपको 6 महीनों से अधिक समय के लिए एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ काम करने की [अनुमति के लिए निवेदन करना होगा](#)।

मैं मौसमी कार्यकर्ता [Seasonal worker] हूँ या प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] में प्रतिभागी हूँ

प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत उपवर्ग 403 वीज़ा धारक

यदि आपको और आपके कार्य-नियोक्ता को प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] में भाग लेने के लिए विदेशी मामले और व्यापार विभाग [Department of Foreign Affairs and Trade] से अनुमोदन प्राप्त है, तो आप [प्रशांत श्रम योजना \[Pacific Labour Scheme\] के तहत दूसरी बार उपवर्ग 403 वीज़ा](#) के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। यह वीज़ा आपको ऑस्ट्रेलिया में वैधतापूर्वक उपस्थित रहने और काम करना

जारी रखने की अनुमति देगा, यदि आप इसके लिए इच्छुक हों, या जब तक आप अपने गृह-देश वापिस जाने में सक्षम न हो जाएँ।

मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Program] के तहत उपवर्ग 403 वीज़ा धारक

आपके वीज़ा को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। परंतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने COVID-19 के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए नए उपाय प्रस्तुत किए हैं।

आप COVID-19 महामारी के दौरान [अस्थायी कार्य \(उपवर्ग 408\) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित आयोजन \(एजीईई\) धारा वीज़ा \[Temporary Activity \(subclass 408\) Australian Government Endorsed Event \(AGEE\) stream visa\]](#) के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, यदि:

- आपका वीज़ा समाप्त होने वाला है
- आपका वीज़ा पहले ही समाप्त हो चुका है
- आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं
- आप स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल या कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर रहे/रही हैं।

यह वीज़ा आपको ऑस्ट्रेलिया में वैधतापूर्वक उपस्थित रहने और काम करना जारी रखने की अनुमति देगा, यदि आप इसके लिए इच्छुक हों, या जब तक आप अपने गृह-देश वापिस जाने में सक्षम न हो जाएँ। मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Programme] और प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] की व्यवस्थाओं को, जिसमें कार्य-नियोक्ताओं से संबंधित व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं, नए वीज़ा की व्यवस्थाओं में विस्तारित किया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र के साथ संलग्नता जारी रखी जा सके।

वीज़ा शर्तें: 8503 (आगे नहीं रहना) [No further stay] और 8577 (कार्य-नियोक्ता में परिवर्तन) [Changing Employers]

मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Programme] और प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत उपवर्ग 403 वीज़ा की शर्त 8577 का अर्थ है कि सामान्य रूप से आपको केवल एक ही प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] के लिए काम करने की अनुमति प्राप्त है, जब तक घरेलू मामले विभाग [Department of Home Affairs] आपको इनमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है।

COVID-19 की अवधि के दौरान आप प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] में परिवर्तन कर सकते/सकती हैं। यदि आप अपने प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] में परिवर्तन करना चाहते/चाहती हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता को:

- शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employment] से संपर्क करना चाहिए, यदि आप एक मौसमी कार्यकर्ता (Seasonal Worker) हैं
- विदेशी मामले और व्यापार विभाग [Department of Foreign Affairs and Trade] से संपर्क करना चाहिए, यदि आप प्रशांत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] में कार्यरत हैं।

इन अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत भी कार्य-नियोक्ताओं के लिए सभी प्रासंगिक ऑस्ट्रेलियाई कार्यस्थल कानूनों का पालन करना आवश्यक है और आपको ऑस्ट्रेलियाई कार्यस्थल कानून के तहत अन्य सभी कर्मियों के

समान अधिकार प्राप्त होंगे।

COVID-19 की अवधि के दौरान मौसमी कार्यकर्ता [Seasonal Worker] धारा में उपवर्ग 403 के लिए आपके वीज़ा से जुड़ी शर्त 8503 (आगे नहीं रहना) [No Further Stay] स्वतः रद्द हो जाएगी ताकि आप [अस्थायी कार्य \(उपवर्ग 408\) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित आयोजन \(एजीईई\) धारा वीज़ा \[Temporary Activity \(subclass 408\) Australian Government Endorsed Event \(AGEE\) stream visa\]](#) के लिए आवेदन कर सकें।

आपको शर्त 8503 रद्द किए जाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मेरे पास एक विशेष श्रेणी [Special Category] वीज़ा है

न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बीच एक व्यवस्था है जिसके तहत हम एक-दूसरे के देशों में निवास और कार्य कर सकते हैं।

मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा ए, बी या सी [Bridging visa A, B or C] है

आपके वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद और आपके नए वीज़ा आवेदन का प्रसंस्करण किए जाने की अवधि में ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा ए, बी और सी आपको ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहने की अनुमति देते हैं।

कार्य के अधिकार

आपके ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा से जुड़ी शर्तों के आधार पर आपको ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हो सकती है।

आप:

- वेवो (VEVO) सेवा का उपयोग करके इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं, या
- अपने [ImmiAccount](#) के माध्यम से अपने वीज़ा की शर्तें देखकर इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं।

यदि आप कठिन आर्थिक परिस्थिति में हैं और आपका ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा आपको कार्य करने की अनुमति नहीं देता है या आपके कार्य के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, तो आप [ब्रिजिंग वीज़ा ए \[Bridging Visa A\]](#) के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं जो आपको कार्य करने की अनुमति देता है। परंतु आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप कठिन आर्थिक परिस्थिति में हैं।

कार्य के अधिकार की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के बावजूद भी यदि आप ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा के लिए पात्र हैं, तो हम आपके पिछले ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा से जुड़ी शर्तों के साथ एक नया ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा प्रदान करेंगे।

आपको कार्य करने का अधिकार देने वाला नया ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यदि:

- आपका वर्तमान ब्रिजिंग वीज़ा ए [Bridging Visa A] आपको इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि आपने अपने मूल वीज़ा आवेदन के निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन किया है, या

- आपने एक संरक्षण [protection] वीज़ा के लिए आवेदन किया है।

देखें: [आवेदन करने के बारे में जानकारी](#)।

शीघ्र समाप्त होने वाले ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा

यदि अपने वीज़ा की समाप्ति तिथि के बाद भी आप ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा ई [Bridging Visa E] है

यह अस्थायी वीज़ा आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति देता है, जब आप:

- छोड़कर जाने के लिए व्यवस्थाएँ कर रहे/रही हैं
- अपने आव्रजन मामले का समापन कर रहे/रही हैं
- आव्रजन निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे/रही हैं।

कार्य के अधिकार

अपने ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा की शर्तों के आधार पर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति प्राप्त हो सकती है।

आप:

- वेवो (VEVO) सेवा का उपयोग करके इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं, या
- अपने [ImmiAccount](#) के माध्यम से अपने वीज़ा की शर्तें देखकर इसकी जाँच कर सकते/सकती हैं।

शीघ्र समाप्त होने वाले ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा

यदि अपने वीज़ा की समाप्ति तिथि के बाद भी आप ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

स्थिति समाधान सेवा [Status Resolution Service]

[स्थिति समाधान सेवा \(एसआरएस\) \[Status Resolution Service \(SRS\)\]](#) कार्यक्रम आपको अस्थायी समर्थन प्रदान कर सकता है।

आप समर्थन के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, यदि आप:

- वीज़ा के बिना ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित हैं
- एक अवैध समुद्री आगमन (आईएमए) [illegal maritime arrival (IMA)] हैं और आपने अस्थायी संरक्षण वीज़ा (टीपीवी) [Temporary Protection Visa (TPV)] या सुरक्षित शरण एंटरप्राइज़ वीज़ा (एसएचईवी) [Safe Haven Enterprise Visa (SHEV)] के लिए एक वैध आवेदन जमा किया है
- एक आईएमए नहीं हैं और आपने संरक्षण वीज़ा के लिए एक वैध आवेदन जमा किया है

- ब्रिजिंग वीज़ा ई (बीवीई) [Bridging Visa E (BVE)] धारक हैं
- अपनी आव्रजन स्थिति का समाधान करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले गंभीर व्यवधानों का सामना कर रहे/रही हैं।

मेरे वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है

28 दिनों के अंदर समाप्त हुई है

यदि आपके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है, तो वैधता स्थापित करने के लिए आपको तुरंत [ब्रिजिंग वीज़ा ई \(बीवीई\) \[Bridging Visa E \(BVE\)\]](#) के लिए आवेदन करना होगा। बीवीई [BVE] एक अल्पकालिक वीज़ा होता है, जो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने के लिए व्यवस्थाएँ करते समय आपको वैधतापूर्वक उपस्थित रहने देता है।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में वैध रूप से रहना चाहते/चाहती हैं, तो आपको नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। आपके लिए वीज़ा के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और आपको वैधतापूर्वक उपस्थित रहने के लिए क्या करना चाहिए – इसका निर्धारण आपकी परिस्थितियाँ करेंगी। आपके वीज़ा की अवधि कितने समय पहले समाप्त हुई थी, इसके आधार पर आपको ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहते हुए अगले वीज़ाओं के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

COVID-19 के परिणामस्वरूप वीज़ा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं और ऐसी अनेकों सेवाओं की उपलब्धता कम हो रही है, जिनपर हम निर्भर करते हैं (उदाहरण के लिए, चिकित्सीय जाँच और बायोमेट्रिक संग्रह)। जाँचों को पूरा करने और निवेदित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

28 दिनों से पहले समाप्त हो गई थी

यदि आपके वीज़ा की अवधि 28 दिनों से पहले समाप्त हो गई थी, तो अपनी आव्रजन स्थिति के समाधान में सहायता के लिए कृपया [स्थिति समाधान सेवा \(एसआरएस\) \[Status Resolution Service \(SRS\)\]](#) से संपर्क करें।